

सं. 2009/टेली/आरसीआईएल/1

नई दिल्ली, दिनांक:05/02/2015

महाप्रबंधक,
उत्तर रेलवे,
नई दिल्ली।

Read
18/2/15

अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
गुडगांव।

दूरसंचार परिपत्र सं. 2/2015

विषय : वीपीएन पोर्ट प्रभारों का केन्द्रीकृत भुगतान।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड के दिनांक 11.06.2012 तथा 28.04.2014 के समसंख्यक पत्र।

इस कार्यालय के ऊपर उल्लिखित पत्र, जिसमें एमपीएलएस वीपीएन के इस्तेमाल के लिए रेलों द्वारा रेलटेल को दिए जाने वाले पोर्ट प्रभार तय किए गए थे, के क्रम में यह विनिश्चय किया गया है कि इन पर होने वाले व्यय का भुगतान केन्द्रीकृत रूप में उत्तर रेलवे द्वारा किया जाएगा और इसे सभी 17 क्षेत्रीय रेलों में बराबर पुनर्विनियोजित किया जाएगा तथा तदनुसार सभी अन्य क्षेत्रीय रेलों द्वारा इस राशि को उत्तर रेलवे के खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(Handwritten Signature)

(हरीश पवारिया)

निदेशक/दूरसंचार

e-mail dtele@rb.railnet.gov.in

फोन नं. 011-23388504

सं. 2009/टेली/आरसीआईएल/1

(Handwritten Mark)

नई दिल्ली, दिनांक:05/02/2015

प्रतिलिपि :

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें) नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

(Handwritten Mark)

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त (व्यय) II और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।

